भाग एक : खण् ड पन् िह

1मध् य ूदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण अिधिनयम, 1987

(बमांक 32, सन् 1987)

(िदनांक 31 जुलाई 1987 को राष्टर्पित की अनुमित ूाप् त हुई, अनुमित "मध् यूदेश राजपऽ (असाधारण) में िदनांक 12 अगः त 1987 को ूथम बार ूकािशत की गई")

सरकार द्वारा बेताओं को दीघर्का िलक अविध के िलये बेची गई या ूदाय की गई वन उपज के िलए उिचत कीमत ूाप् त करेन हेतु, कितपय करारों की समय-समय पर पुनरीिक्षत करने की शिक्त ूाप् त करने और आय की हािन को रोकन तथा पुनरीिक्षत करारों को ूवृत् त करने और कितपय अन् य िवषयों के िलये उपबन् ध करने हेतु अिधिनयम।

भारत गणराज् य के अड़तीसवें वषर् में मध् य ूअिधिनयिमत हो -

देश िवधान मंडल द्वारा िनम् निलिखत रूप में यह

धारा 1. संिक्षप् त नाम, िवः तार और ूारम् भ - (1) इस अिधिनयम का संिक्षप् त नाम म.ू. वन उपज के करारों का पुनरीक्षण अिधिनयम, 1987 है।

(2) इसका िवः तार सम् पूणर् मध् य ूदेश राज् य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को ूवृत् त होगा िजसे राज् य सरकार, अिधसूचना द्वारा िनयत करे।

िटप् पणी

म. ू. शासन ने अपनी अिधसूचना बमांक 1301-दस 3-88 िदनांक 2 मई, 1988 द्वारा िदनांक 2 मई, 1988 से इस अिधिनयम को ूभावशील घोिषत िकया है। उक् त अिधसूचना म.ू. राजपऽ (असाधारण) िदनांक 2/5/88 को पृष्ठ 873 पर ूकािशत हुइर्।

धारा 2. पिरभाषाएँ - इस अिधिनयम में, जब तक िक संदभर् से अन् यथा अपेिक्षत न हो -

(क) "करार" के अन् तगर्त आयेगी कोई संिवदा, अनुज्ञिप्त बंधपऽ, िवलेख या अन् य दः तावेज, िजसके द्वारा राज् य सरकार, ऐसी दः तावेज में िविनिदर्ं ट िनबन् धनों तथा शतोर्ं पर, िकसी दीघर्कािलक अविध के िलये, ूितफलाथर्, िकसी वन उपज का िकसी व् यिक्त को िवबय या ूदाय करने का अथवा कोई वन उपज िकसी व् यिक्त द्वारा संमहीत िकये जाने और हटाये जाने की अनुज्ञा देने के िलए करार करती है।

(ख) "वन उपज" का वही अथर् होगा जो उसे म.ू. राज् य को यथा लागू भारतीय वन अिधिनयम, 1927 (1927 का सं. 16) में िदया गया है;

(ग) "दीघर्कािलक अविध" से अिभू्ेत है बारह मास के अिधक की कोई कालाविध; (घ) "बेता" से अिभू्ेत है, िकसी कम् पनी या संगम या व् यिष्ट िनकाय को, चाहे वह िनगिमत हो या न हो, सिम्मिलत करते हुए कोई ऐसा व् यिक्त जो िकसी करार के अधीन राज् य सरकार से कोई वन उपज बय करता है या िजसे राज् य सरकार द्वारा िकसी वन उपज का ूदाय िकया जाता है या जो राज् य सरकार से कोई वन उपज अिभूाप् त करता है।"

---

1. यह अिध. म.ू. राजपऽ असाधारण, िदनांक 12.8.87 के पृष्ठ 1599-1601 पर ूकािशत हुआ।

धारा 3. वन उपज के िवबय या ूदाय के करारों का पुनरीक्षण करने की राज् य सरकार की शिक्त - तत् समय ूवृत् त िकसी िविध में तथा इस अिधिनयम के ूारम् भ होने की तारीख को िवद्यमान िकसी करार में या िकसी ऐसे करार में जो राज् य सरकार द्वारा िकसी बेता के साथ इस अिधिनयम के ूारम् भ होने की तारीख को या उसके पँ चात् िकया जाये, अन् तिवर्ं ट िकसी बात के होते हुए भी, राज् य सरकार के िलए यह िविधपूणर् होगा िक वह िकसी ऐसे करार के िनबर्धों तथा शतोर्ं में से िकसी भी िनबन् धनों तथा शतर् में समय-समय पर, राजपऽ में ूकािशत आदेश द्वारा, िनम् निलिखत ूयोजनों में, िकसी भी एक या अिधक ूयोजनों के िलये, पिरवधर्न करे या उसे ूितः थािपत करे, हटा दे या उसे अन् यथा संशोिधत करे, अथार्त् -

(क) बेता को वन उपज के िवबय या ूदाय के िलये कीमत या दर के पुनरीक्षण या िनयतकािलक पुनरीक्षण के िलये उस दशा में उपबन् ध करना, जबिक ऐसे करार में यथाि◌ःथित ऐसे पुनरीक्षण या िनयतकािलक पुनरीक्षण के िलये कोई उपबन् ध न हों। और जहाँ ऐसे करार में ऐसी िनयतकािलक पुनरीक्षण के िलये कोई उपबन् ध हों, वहा पुनरीक्षण की कालाविध में कमी या वृिद्ध करने हेतु उपबन् ध करना परन् तु एक बार िनयत की गई कीमत या दर उस तारीख से, िजसको िक ऐसी कीमत या दर ूवृत् त हुई को कम से कम बारह मास की कालाविध तक राज् य सरकार द्वारा पुनरीिक्षत नहीं की जा सकेगी;

(ख) उस कीमत या दर के, िजस पर वन उपज का िवबय या ूदाय बेता को िकया जाना है, पुनरीक्षण के समय, वृिद्ध की उस अिधकतम सीमा को, जो ऐसे िकसी करार में अिधरोिपत की गई है, हटाने या उसे उपांतिरत करने का उपबन् ध करना;

(ग)उसे तौल माप की इकाई में, िजसमें उस उपज की तौल, मापन या गणना बेता या ूदाय के ू योजन के

िलए या उस वन उपज के िलये कीमत का दर ूभािरत करने या वसूल करने के ू योजनों के िलये उपबन् ध करना, िकन् तु वह इस ू कार िक िजससे उस वन उपज के, िजसका िवबय या ूदाय बेता को करने का करार िकया गया है, पिरणाम में तािित्वक या सारवान् पिरवतर्न न हो;

(घ)उस वन उपज के पिरमाण को, िजसका िक करार के अधीन िवषय या ूदाय बेता को िकया जाने का करार िकया गया है, जलागम क्षेऽों (केचमेन् ट एिरयाज) का समुिचत पुनर्समायोजन करके, उपांतिरत या पुन: आवंिटत करना।

धारा 4. बेताओं की बेची या ूदाय की गई वन उपज की कीमत बाजार मूल् य से अिधक नहीं होगी -

(1)वन उपज के िवबय या ू दाय के िलये, धारा 3 द्वारा िनयत कीमत या दर में िकसी पुनरीक्षण के समय िनयत की जाने वाली कीमत या दर, ऐसे पुनरीक्षण के समय होने वाले ऐसे वन उपज के उस बाजार मूल् य से अिधक नहीं होगी जो िक राज् य सरकार द्वारा िविहत रीित में अवधािरत िकया जाए।

(2)जहाँ कीमत या दर पुनरीक्षण के समय एक बार में बारह मास से अिधक की िकसी कालाविध के िलये िनयत की जाती है, वहाँ राज् य सरकार, उस कालाविध के दौरान, िजसमें िक पुनरीिक्षत कीतम या दर ूवृत् त रहनी है, उस वन उपज के बाजार मूल् य में होने वाली पूवार्नुमािनत वृिद्ध के िलये कीमत या दर में वािषर्क वृिद्ध के िलये उपबन् ध कर सकेगी।

धारा 5. िनबन् धनों तथा शतोर्ं के भंग के कारण करारों का पयर्वसान करने की राज् य सरकार की शिक्त -

(1)तत् समय ूवृत् त िकसी िविध में तथा इस अिधनियम के ूारम् भ होने पर या उसके पँ चात् की गई, अन् तिवर्ं ट िकसी बात के होते हुए भी, राज् य सरकार बेता द्वारा करार में समय-समय पर यथा-संशोिधत िनबन् धनों तथा शतोर्ं में से िकसी भी िनबन् धन तथा शतर् को भंग िकये जाने के कारण ऐसे करार का, बेता को इस बाबत हेतु दिशर्त करने का युिक्तयुक् त अवसर देने के पँ चात् िक उस करार का क् यों न पयर्वसान कर िदया जाए और ऐसे पयर्वसान के िलए उसे एक मास की सूचना देने के पँ चात् िकसी भी समय पयर्वसान कर सकेगी।

(2)ऐसे मामलों में राज् य सरकार का िविनँ चय अंितम होगा।

1धारा-5 ब. करारों तथा संिवदा की समािप्त - तत् समय ूवृत् त िकसी िविध में तथा म.ू. व.उ. करारों का (संशोधन) अिध. 1996 के ूवृत् त होने की तारीख को िवद्यमान, िकन् हीं करारों में या िकसी ऐसे करार में, जो राज् य सरकार द्वारा िकसी बेता के साथ ऐसे अिध. के ूारम् भ होने पर या उसके पँ चात् िकया जावे अन् तिवर्ं ट िकसी बात क होते हुए भी वृक्ष, लकड़ी, कां ठ या अन् य वन उपज के ूदाय के िलये राज् य सरकार द्वारा िकया गया कोई करार या मंजूर िकया गया कोई पट्टा या दः तावेज इस अिधनियम के ूारम् भ होने की तारीख से दो वषर् का अवसान होने पर ूवृत् त नहीं रहेगा।

(2) ऐसे मामलों में राज् य सरकार का िविनँ चय अिन्तम होगा।

(3) उपरोक् त (1) के अधीन करारों की समािप्त के सम् बन् ध में राज् य सरकार के िवरूद्ध कोई वाद या िविधकायर्वािहयां िकसी न् यायालय या अिधकरण में नहीं होगी।

धारा 6. बेता एक मास की सूचना देने के पँ चात् करार का पयर्वसान कर सकेगा - यिद, धारा 3 के अधीन िकसी करार के िनबंधनों और शतोर्ं में िकया गया कोई संशोधन या उस धार के अधीन वन उपज के िवबय या ूदायके िलये कीमत या दर में िकया गया कोई पुनरीक्षण, बेता को ूितमाह्य न हो तो वह अपने िवकल् प पर, उस तारीख से, िजसको िक यथािःथित िनबंधनों और शतोर्ं में िकया गया संशोधन अथवा कीमत या दर में िकया गया पुनरीक्षण उसे संसूिचत िकया जाता है, छह मास की कालाविध के भीतर, राज् य सरकार के एक मास की िलिखत सूचना देकर, उस करार का पयर्वसान कर सकेगा और तद्नुसार वह करार सूचना की कालाविध के खत् म होने पर पयिर्वसन हो जाएगा।

धारा 7. िनयम बनाने की शिक्त -

(1)राज् य सरकार इस अिधनियम के ूयोजनों को कायार्िन्वत करने के िलए, िनयम, अिधसूचना द्वारा और पूवर् ूकाशन की शतर् के अध् यधीन रहते हुए बना सकेगी।

(2)िविशं टतया और पूवगार्मी उपबंध की व् यापकता पर ूितकूल ूभार डाले िबना, ऐसे िनयम िनम् निलिखत समः त िवषयों या उनमें से िकसी भी िवषय के िलये बनाये जा सकेंगे, अथार्त् -

(क) धारा 3 के अधीन करार में िकए जाने वाला ूः तािवत संशोधन की या कीमत या दर में िकये जाने के िलये ूः तािवत िकसी पुनरीक्षण की सूचना देने के िलए और ूः ताव के िवरुद्ध हेतु दिशर्त करने के िलए बेता को अवसर देने के िलए,

(ख) वे िसद्धांत िजन पर, वह रीित िजसमें और वह ूािधकारी िजसके द्वारा धारा 4 के ू योजनों के िलए बाजार मूल् य अवधािरत िकया जायेगा।

(ग) कोई अन् य िवषय िजसका िविहत िकया जाना अपेिक्षत हो या जो िविहत िकया जाये।

(3) इस अिधनियम के अधीन बनाये समः त िनयम िवधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

____ 1. धारा 5 क म.ू. वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (संशोधन) अधिनियम 1996 (ब. 19 वषर् 1996) द्वारा अन् त: ः थािपत। म.ू. राजपऽ (असा.) िदनांक 6-12-96 का पृष्ठ 1061-1062 पर ूकािशत।